न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 214/2021
राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री उमराव सिंह, गांव रसूलपुर (अहीरान), पोस्ट पचेरी, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) मो0न0 6350678079

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 27.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 214/2021 पर दिनांक 12.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3331–32 दिनांक 14.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक 3935 दिनांक 26.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र उमराव सिंह द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2020 के कम मे पत्र मे वर्णित खसरा नम्बरान मे स्थगन व रहन होने की वजह से नामान्तरकरण कार्यवाही नही हो सकी। अब स्थगन व रहन मुक्त होने पर विक्रय पत्र के नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। उक्त खसरा नम्बर का विक्रय पत्र जरिये विक्रय पत्र (रजिस्ट्री से रजिस्ट्री) हुआ है। प्रथम विक्रय पत्र का नामान्तरकरण कमांक 797 दिनांक 19.10.2021 दर्ज हो चुका है जो कि प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 29.10.2021 से ग्राम गुन्ती मे प्रमाणित करवा दिया जावेगा तत्पश्चात् दूसरे नामान्तरकरण की कार्यवाही कर प्रमाणित नामान्तरकरण कर दिया जावेगा। रहन व स्थगन व विक्रय पत्र से विक्रय पत्र के कारण प्रकरण मे विलम्ब रहा है। ग्राम रसूलपुर मे दिनांक 06.08.2020 से दिनांक तक कितनी रजिस्ट्रयां बनी है जिसके संबंध मे पंजीयन शाखा ने अवगत करवाया है कि किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि लेने बाबत निष्पादक का नाम व दावेदार का नाम उपलब्ध करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उप पंजीयन शाखा से नकल प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना पत्रांक 3935 दिनांक 26.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र उमराव सिंह द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2020 के कम मे पत्र मे वर्णित खसरा नम्बरान मे स्थगन व रहन होने की वजह से नामान्तरकरण कार्यवाही नही हो सकी। अब स्थगन व रहन मुक्त होने पर विक्रय पत्र के नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। उक्त खसरा नम्बर का विक्रय

पत्र जरिये विक्रय पत्र (रजिस्ट्री से रजिस्ट्री) हुआ है। प्रथम विक्रय पत्र का नामान्तरकरण क्रमांक 797 दिनांक 19.10.2021 दर्ज हो चुका है जो कि प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 29.10.2021 से ग्राम गुन्ती मे प्रमाणित करवा दिया जावेगा तत्पश्चात् दूसरे नामान्तरकरण की कार्यवाही कर प्रमाणित नामान्तरकरण कर दिया जावेगा। रहन व स्थगन व विक्रय पत्र से विक्रय पत्र के कारण प्रकरण मे विलम्ब रहा है। ग्राम रसूलपुर मे दिनांक 06.08.2020 से दिनांक तक कितनी रजिस्ट्रयां बनी है के संबंध मे पंजीयन शाखा ने अवगत करवाया है कि किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि लेने बाबत निष्पादक का नाम व दावेदार का नाम उपलब्ध करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उप पंजीयन शाखा से नकल प्राप्त कर सकते है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, बुहाना को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे नियमानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं